भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1224

उत्तर देने की तारीख : 09.02.2023

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पुनरुद्धार

1224. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री सी. आर. पाटिल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) ने विभिन्न कारणों से अपनी इकाइयां बंद कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन इकाइयों को बहाल/पुनर्जीवित करने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश विशेष रूप से तमिलनाडु और गुजरात में एमएसएमई का पुनरुद्धार करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) एमएसएमई क्षेत्र के नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : सिडबी द्वारा सितंबर, 2021 से जनवरी, 2022 के दौरान कराए गए एक अध्ययन, जिसमें 20 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 1029 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल थे, से यह स्पष्ट हुआ था कि 67 प्रतिशत उत्तरदाता एमएसएमई को तीन माह की अवधि के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था।

(ख) और (ग) : सरकार ने तमिलनाडु और गुजरात राज्य सहित देशभर में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं तथा वित्तीय सहायता प्रदान की है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:-

i. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना।
ii. आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।
v. व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु ''उद्यम पंजीकरण''।
vi. एमएसएमई की शिकायतों के निवारण और उन्हें सहायता प्रदान करने सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में ''चैंपियंस'' नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत।
vii. खुदरा और थोक व्यापारों तथा साथ ही साथ फुटपाथ विक्रेताओं को प्राथमिक क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण का लाभ प्रदान करने के लिए उनका एमएसएमई के रूप में समावेशन।
viii. एमएसएमई के स्तर में किसी प्रकार के उन्नयन के मामले में गैर-कर लाभों का 3 वर्षों के लिए विस्तार।
ix. प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) का लाभ प्राप्त करने हेतु अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने हेतु दिनांक 11.01.2023 को उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ।

(घ) : दिनांक 01.07.2020 को शुरू किए गए उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 1.39 करोड़ एमएसएमई ने पंजीकरण किया है जिनमें 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि प्रति उद्यम नियोजित व्यक्तियों की संख्या 7.2 व्यक्ति/उद्यम है।

बजट 2022 में क्रेडिट को सुविधाजनक बनाने, कौशल प्रदान करने तथा भर्ती के प्रयोजन से उद्यम, ई-श्रम, राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (एनसीएस) तथा आत्मनिर्भर कौशलयुक्त कार्मिक-नियोक्ता मैपिंग पोर्टलों को समेकित करने की घोषणा की गई थी। दिनांक 14.09.2022 को उद्यम तथा एनसीएस के समेकन से लेकर अब तक 6 लाख से अधिक एमएसएमई ने एनसीएस पोर्टल का अवलोकन किया है।

*****